राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–176, 177, 178, 179/2013/अलवर

मै0 मारूतनन्दन टैक्सटाईल्स लि., ...अपीलार्थी
खैरथल जिला अलवर

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
   विशेष वृत्त, अलवर
2. उपायुक्त अपील्स, ..प्रत्यर्थीगण
   वाणिज्यिक कर अलवर।

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.गुप्ता ...अपीलार्थी की ओर से
अभिभाषक
श्री सीतांशु शर्मा ...प्रत्यर्थीगण की ओर से
उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 10.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित अलग–अलग आदेश दिनांक 30.10.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 हेतु पारित अलग–अलग आदेश क्रमशः दिनांक 14.02.2012, 05.03.2012, 14.02.2012 व 14.02.2012 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 26, 33 व 55 के तहत रिवर्स की गई आई.टी.सी. को विवादित करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपीलें प्रतिप्रेषित की है। अपीलों का विवरण निम्न प्रकार है :–

आलोच्य अवधि	विचाराधीन अपील सं.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	अपीलीय अधिकारी की अपील सं व आदेश दिनांक	विवादित मांग राशि का विवरण			कर बोर्ड में लंबित अपील
				रिवर्स आई.टी.सी.	ब्याज	कुल मांग राशि	
2006–07	179/13	14.02.2012	02/RVAT/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर 30.10.2012	5,21,648	3,33,855	8,55,503	2499/2016
2007–08	176/13	05.03.2012	03/RVAT/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर 30.10.2012	5,68,885	3,07,198	8,76,083	2496/2016
2008–09	178/13	14.02.2012	04/RVAT/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर 30.10.2012	8,65,769	3,46,308	12,12,077	2498/2016
2009–10	177/13	14.02.2012	05/RVAT/2012–13/उपा/अपील्स/अलवर 30.10.2012	5,11,496	1,43,219	6,54,715	2497/2016

2. विचाराधीन प्रकरणों में व्यवहारी कॉटन जिनिंग का व्यवसायी है। व्यवहारी के कर निर्धारण आदेशों की जांच में यह पाये जाने पर कि अभिलेखानुसार व्यवसायी द्वारा आलोच्य अवधियों में खरीद किये गए कच्चे माल पर चुकाये गये आगत कर का समायोजन व्यवासायी को कर निर्धारण आदेशों में दे दिया गया परन्तु माननीय उच्च

लगातार............2

न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि. के अनुसार कर मुक्त बाय–प्रोडक्ट पर अनुपातिक रूप से आई.टी.सी. का लाभ देय नहीं है, व्यवसायी के अधिनियम की धारा 26, 33, 55 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। व्यवसायी के उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त एवं ब्रांच ट्रांसफर की कुल बिक्री के निर्माण पर प्रयुक्त कच्चे माल कॉटन सीड पर लिये गए आई.टी.सी. को अनुपातिक रूप से रिवर्स किया जाकर धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज आरोपण किया गया। व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त आदेशों के अपील प्रस्तुत करने पर अपीलें प्रतिप्रेषित की गई। अपीलीय अधिकारी ने यह अवधारित किया कि आलोच्य अवधियों में आई.टी.सी. रिवर्सल की गणना सही नहीं की गई है व इस बिन्दु पर व्यवहारी की अपील स्वीकार कर व्यवहारी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राज्य के भीतर पंजीकृत व्यवहारियों से बिनौला कॉटन सीड के अलावा खरीदे गये अन्य जिन्सों पर अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत आई.टी.सी. लाभ सुनिश्चित करते हुए एवं अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांसफर किये गए बिनौला तेल के विनिर्माण में बाहर से क्रय किये गये कच्चे माल की जांच के पश्चात् नियमानुसार आई.टी.सी. रिवर्स की जाकर ब्याज का आरोपण करने के निर्देश दिये है।

3. अपीलीय अधिकारी ने रिमाण्ड आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने पुनः आदेश पारित किये है। उक्त आदेशों के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जो अस्वीकार हुई तथा इनके विरूद्व माननीय कर बोर्ड में अपील सं. 2496 से 2499/2016 लंबित है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

आलोच्य अवधि	विचाराधीन अपील सं.	कर बोर्ड में लंबित अपील	प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में कर निर्धारण आदेश दिनांक	प्रतिप्रेषित प्रकरण में पारित आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपीलों में अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक
2006–07	179/13	2499/2016	29.10.2014	17.08.2016
2007–08	176/13	2496/2016	29.10.2014	17.08.2016
2008–09	178/13	2498/2016	29.10.2014	17.08.2016
2009–10	177/13	2497/2016	29.10.2014	17.08.2016

4. अपीलार्थी व्यवहारी ने अपील में जो आधार लिये है, उनमें आई.टी.सी. को रिवर्स करने एवं एकपक्षीय आदेश पारित करने से संबंधित है। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश दिये है। कर मुक्त बॉय प्रोडक्ट के संबंध में आई.टी.सी. रिवर्स करने के आदेश दिये है जो माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा निर्णय दिनांक 08.12.2011 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम दुर्गेश्वरी फूड लि. के प्रकाश में विधिसम्मत है। अन्य जिन्सो से संबंधित आई.टी.सी. के संबंध में जांच करने व आई.टी.सी रिर्वसल की सही गणना हेतु निर्देशित किया है। रिमाण्ड आदेशों की पालना में उपरोक्त तालिका

के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित कर दिया गया है तथा अपील भी निर्णित हो गई है जिसके विरूद्व कर बोर्ड के समक्ष पुनः अपील प्रस्तुत करने पर अपील सं. 2496/2016 से 2499/2016 लंबित है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन अपील सं. 176/2013 से 179/2013 प्रभावहीन होने के कारण प्रभावशून्य (Infructuous) है।

5. उपरोक्त विवेचन एंव विश्लेषण के आधार पर अपीलें प्रभावशून्य (Infructuous) होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

(के.एल.जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य